राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5928/2024

1. चतर सिंह चौहान पुत्र रतन सिंह चौहान, वृद्ध लगभग 71 वर्ष, निवासी 71- श्री भैरवे नगर, प्रताप नगर, बेड़वास, उदयपुर

2. सरूप सिंह पुत्र मगेज सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 03, खारा, थाना। जामसर, जिला. बीकानेर (राज.) अत वर्तमान निवासी सिटी पैलेस, उदयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

2. आयुषी शर्मा पत्नी श्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा, निवासी/ओ भगत सिंह कॉलोनी, राजकीय आवास, निवाई, जिला टोंक

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री पुनीत जैन, सीनियर एडवोकेट, मोहम्मद असलम नौशाद द्वारा सहायता प्राप्त। श्री शीतल कुंभट।
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री आनंद पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता। असिस्टेड शिकायतकर्ता के लिए श्री रणजीत जोशी द्वारा। श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, पी.पी. श्री आर.एस. भाटी, एजीए। श्री हिमांशू सिंह, एस.एच.ओ. (पी.एस.) सुखेर, जिला उदयपुर) श्री हरीश चन्द्र सनाढ्य, एएसआई/ आई.ओ. (पी.एस.-सुखेर, जिला उदयपुर)

(27/05/2025 को 02:32:37 PM पर डाउनलोड किया गया)

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश **(**मौखिक**)**

09/10/2024

1. पुलिस स्टेशन सुखेर, उदयपुर में धारा 191(2), 115(2), 126(2), 351(2)/(3) और बीएनएस, 2023 की 74 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर संख्या 0452/2024 दिनांक 13.08.2024 को रद्द करने की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ता संख्या 1 एक 71 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है और कैलाशपुरी स्थित एकलिंगजी मंदिर में सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करता है और याचिकाकर्ता संख्या 2 भी उसी मंदिर में सुरक्षा गार्ड है। शिकायतकर्ता राजस्थान राज्य में कार्यरत न्यायिक अधिकारी की पत्नी है।

3. याचिका में दी गई तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार है:

3.1 कैलाशपुरी (उदयपुर) स्थित एकलिंगजी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जो 1,300 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। मुख्य देवता, काले पत्थर से उकेरे गए पांच मुख वाले भगवान शिव, भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के शासक देवता माने जाते हैं, तथा तत्कालीन राजा इसके संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। मंदिर का निर्माण 8 वीं शताब्दी ई. में श्री बप्पा रावल ने करवाया था।

3.2 13 अगस्त, 2024 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें शिकायतकर्ता के पति श्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा, जो निवाई, टोंक में पदस्थ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, शामिल थे। हालांकि, खुद को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बताते हुए, उन्होंने कथित तौर पर भक्तों की कतार में घुसपैठ की। इसके बावजूद जब उनसे अनुशासन का पालन करने को कहा गया तो वे गाली-गलौज पर उतर आए। मंदिर की सुरक्षाकर्मियों से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने की भी कोशिश की, जिससे हाथापाई हुई, जो मंदिर के सीसीटीवी में कैद हो गई।

(27/05/2025 को 02:32:37 PM पर डाउनलोड किया गया)

3.3 आगे दलील दी गई कि सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है कि श्री शर्मा ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मंदिर में जाकर इस घटना को अंजाम दिया। कहा गया है कि मंदिर प्रशासन को उनके आने की पहले से सूचना नहीं दी गई थी, अगर उन्हें इसकी सूचना दी गई होती तो उनके आने के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती थी। सावन माह के कारण श्रद्धालुओं की अधिक संख्या होने के बावजूद उन्होंने कतार में आगे बढ़ना चुना, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अप्रिय घटना हुई।

3.4 यह दलील दी गई है कि बाद में मंदिर प्रशासन को बदनाम करने के इरादे से श्री शर्मा ने अपनी पत्नी श्रीमती आयुषी शर्मा के माध्यम से झूठी एफआईआर दर्ज कराई, जिसका यहां आरोप लगाया गया है।

4. उपरोक्त तथ्यात्मक आख्यान के आलोक में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं को निराधार आरोपों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। एफआईआर और उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कथित अपराध नहीं बनता है। हालांकि एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दंगा और हमला करने सहित अपराधों का आरोप लगाया गया है, लेकिन साक्ष्य से पता चलता है कि कथित घटनाएं वर्णित रूप से नहीं हुईं। वह अपने तर्क के समर्थन में सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव का हवाला देते हैं कि एफआईआर तुच्छ और गुप्त इरादों से प्रेरित है।

4.1 उन्होंने कहा कि एफआईआर और उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी अपराध सिद्ध नहीं होता है। भले ही एफआईआर में लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन वे किसी भी तरह का अपराध नहीं बनाते हैं।

(27/05/2025 को 02:32:37 PM पर डाउनलोड किया गया)

4.2 याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के पति ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए धारा 191(2) (दंगा), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 351(2) और 351(3) (धमकाना) और धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है, जो केवल कतार में प्रतीक्षा करने के लिए कहने पर व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण है। न्यायिक अधिकारी ने अपनी पत्नी को अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए आगे रखा है और उसने आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि पूरी घटना श्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा द्वारा भड़काई गई थी, जो हमलावर था। उनका तर्क है कि न्यायिक अधिकारी का अहंकारी और अशोभनीय आचरण रिकॉर्ड पर रखे गए वीडियो फुटेज में दर्ज है, जिसमें वह मंदिर के प्रबंधन अधिकारियों को डराने और धमकाने के लिए बहुत ही निर्भीकता से खुद को राजस्थान के एक सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने का दावा कर रहा है।

4.3 उनका यह भी तर्क है कि सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता चलता है कि पूरी घटना के दौरान महिला सुरक्षाकर्मी शिकायतकर्ता के साथ थीं और किसी भी पुरुष गार्ड ने अनुचित तरीके से उनसे संपर्क नहीं किया। इसलिए, एफआईआर के आरोप पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत हैं और धारा 191(2) (दंगा), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 351(2) और 351(3) (धमकाना) और धारा 74 (महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत कथित अपराधों के लिए कोई आधार प्रदान करने में विफल हैं।

5. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया है कि एफआईआर में जांच पूरी हो चुकी है। इसके अनुसरण में, 08.10.2024 की एक तथ्यात्मक

(27/05/2025 को 02:32:37 PM पर डाउनलोड किया गया)

रिपोर्ट भी तैयार की गई है। उन्होंने सुनवाई के दौरान इसे प्रस्तुत किया और इसे रिकॉर्ड में लिया गया। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्तमान मामले में केवल धारा 115(2), 126(2), 351(2)/(3), 324(6), 117(2) बीएनएस, 2023 [संबंधित धाराएं 323, 341, 506, 440 और 325 आईपीसी] को ही आरोपित किया गया है और बाकी दंडात्मक धाराओं को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र केवल पांच व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तावित है, अर्थात्:

(i). श्री स्वरूप सिंह सिसोदिया

(ii). श्री मंगल सिंह चूंडावत

(iii). श्री गोपाल सिंह गौर

(iv). श्री चतर सिंह चौहान

(v). श्री कालू सिंह

उनका कहना है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज की जाए।

6. शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के मद्देनजर इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है और कानून अपना काम करेगा।

7. प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और केस फाइल तथा एफआईआर की विषय-वस्तु का अवलोकन करने के बाद, मेरा मानना है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं या नहीं, यह विचारणीय विषय है और इसका निर्णय सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद किया जाएगा, जो तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित है।

8. हालांकि, मेरा मानना है कि बीएनएस की धारा 117(2) (आईपीसी की धारा 325) के कोई तत्व नहीं बनते। कारण तलाशने की जरूरत नहीं है। आइए देखें

(27/05/2025 को 02:32:37 PM पर डाउनलोड किया गया)

कैसे। सबसे पहले, एफआईआर की सामग्री को देखा जाना चाहिए और तत्काल संदर्भ के लिए, एफआईआर का अनुवादित संस्करण इस प्रकार है:

> "मैं आपको यह सूचित करने के लिए लिख रही हूं कि मैं, आवेदक, अपने पति के साथ उनके उपचार और स्वास्थ्य के लिए कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी मंदिर गई थी। लगभग *12:30* बजे, जब हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे थे, तो वर्दी पर दो सितारों वाले एक गार्ड ने हमसे अभद्र और अपमानजनक तरीके से बात की, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मेरे पति, जो पहले से ही खराब स्वास्थ्य में थे, ने गार्ड को समझाने का प्रयास किया, सुझाव दिया कि वे शांति से बात करें। हालांकि, गार्ड, सात अन्य व्यक्तियों और एक महिला के साथ, मेरे पति पर शारीरिक रूप से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं और उनका चश्मा टूट गया।
>
> मेरे एक बुजुर्ग रिश्तेदार, जो आगे चल रहे थे, ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन उन पर भी हमला किया गया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके दाहिने कोहनी पर घाव और बहुत अधिक रक्तस्राव सहित गंभीर चोटें आईं। मेरी बहन के पति, जो पास में थे, ने अपराधियों को स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका गला घोंट दिया। उस पर हमला किया, जिससे उसकी गर्दन, दायाँ हाथ और छाती के बाएँ हिस्से में चोट लग गई। मेरे पति, जिनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब है, उनके पूरे शरीर पर चोटें आई हैं। हमले के दौरान, चौहान नाम के एक व्यक्ति और गार्ड स्वरूप सिंह ने मुझसे बेहद अश्लील और अनुचित तरीके से बात की। एक गार्ड ने मुझे पीछे से अनुचित तरीके से छुआ, जबकि दूसरे गार्ड ने मुझे गलत तरीके से छुआ। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को तुरंत बंद कर दिया। चौहान और स्वरूप सिंह ने मेरे साथ और भी अश्लील हरकतें कीं और कहा, "उसे अंदर ले आओ।"
>
> फिर दोनों गार्डों ने मुझे अनुचित तरीके से उठा लिया, लेकिन सौभाग्य से, आस-पास के आगंतुकों ने हस्तक्षेप किया और हमें बचा लिया। चौहान ने हमें धमकाते हुए कहा कि उनके मालिक लक्ष्यराज सिंह इस इलाके के राजा हैं और उन्हें किसी से डर नहीं लगता। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुष्टि की कि ये लोग अक्सर महिलाओं के साथ

(27/05/2025 को 02:32:37 PM पर डाउनलोड किया गया)

> दुर्व्यवहार करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पुलिस के आने के बाद भी स्वरूप सिंह और चौहान हमें धमकाते रहे। मेरे साथ की गई अश्लील हरकतों ने मुझे बहुत अपमानित और आघात पहुँचाया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इन अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।"

9. एफआईआर के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि न तो शिकायतकर्ता को कोई गंभीर चोट लगी है, न ही उसके द्वारा किसी भी आरोपी के विरुद्ध ऐसी चोट पहुँचाने के प्रयास का कोई आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, उसे लगी चोट की प्रकृति सरल पाई गई और इसलिए, सही रूप से बीएनएस की धारा 115(2) (आईपीसी की धारा 323) पहले ही लागू की जा चुकी है। उसे वास्तव में ऐसी कोई चोट लगी है या नहीं, यह परीक्षण का विषय होगा और इस न्यायालय को गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त करने का अधिकार नहीं है।

10. जहाँ तक बीएनएस की धारा 117(2) (आईपीसी की धारा 325) का संबंध है, स्वीकार किया जाता है कि इस संबंध में कोई प्राथमिक आरोप न होने के कारण, उस सीमा तक तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायिक जाँच में टिक नहीं पाती। तत्काल संदर्भ के लिए बीएनएस की धारा 117(2), धारा 2023 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"117. स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना।

> *(1).* जो कोई स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, यदि वह चोट जो वह पहुँचाना चाहता है या जानता है कि वह पहुँचाने की संभावना है, गंभीर चोट है, और यदि वह चोट जो वह पहुँचाता है, गंभीर चोट है, तो उसे "स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना" कहा जाता है।
>
> *(2).* जो कोई, धारा *122* की उप-धारा *(2)* द्वारा प्रदान की गई स्थिति को छोड़कर, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा।"

(27/05/2025 को 02:32:37 PM पर डाउनलोड किया गया)

11. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि वर्तमान मामले में किसी भी गंभीर चोट के संबंध में एफआईआर में किसी भी आरोप का पूर्ण अभाव है और इसकी सामग्री की कमी है। विद्वान लोक अभियोजक ने पिछले भाग में उल्लेख किया है कि जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसके पूरा होने पर, इसमें नामित 5 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र (तथ्यात्मक रिपोर्ट) प्रस्तावित है। इस स्तर पर, इस न्यायालय के लिए अन्य आरोपों के गुण-दोष पर विचार करना उचित नहीं होगा। इस आधार पर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और ऊपर दर्ज की गई चर्चा के परिणामस्वरूप, और तथ्यात्मक रिपोर्ट के मद्देनजर, पुलिस स्टेशन सुखेर, उदयपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 0452/2024 दिनांक 13.08.2024 में लागू बीएनएस की धारा 117 (2) (आईपीसी की संगत धारा 325) को हटाने का निर्देश दिया जाता है।

12. इस प्रकार याचिका का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया जाता है कि शेष अपराधों के संबंध में, जो जमानती हैं, यदि याचिकाकर्ताओं को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** जे

228-धनंजय एस /-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हां

अस्वीकरण**:** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है**,** एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

(27/05/2025 को 02:32:37 PM पर डाउनलोड किया गया)

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(27/05/2025 को 02:32:37 PM पर डाउनलोड किया गया)